दिनांक – 17/11/2020

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

परीक्षा आवेदन–पत्र भरने संबंधी प्रश्नोत्तरी

प्रश्न–1 मण्डल से कक्षा 10वीं एवं 12वीं में अनुत्तीर्ण होने पर पुनः नामांकन के लिये क्या करना होगा ?

उत्तर–1 पुनः नामांकन की आवश्यकता नहीं है। सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी विद्यालय के माध्यम से अद्यतन कराई जा सकेगी।

प्रश्न–2 क्या अंक सुधार के लिये पुनः नामांकन आवश्यक है ?

उत्तर–2 पुनः नामांकन आवश्यक नहीं है। सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी विद्यालय के माध्यम से अद्यतन कराई जा सकेगी।

प्रश्न–3 क्या पूर्व में उत्तीर्ण विद्यार्थी विषय परिवर्तन करके पुनः परीक्षा दे सकेगा ?

उत्तर –3 जी हॉ। पुनः परीक्षा देने के लिये सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी विद्यालय के माध्यम से अद्यतन कराई जा सकेगी।

प्रश्न–4 क्या पूर्व में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी विषय परिवर्तन करके पुनः परीक्षा दे सकेगा ?

उत्तर–4 जी हॉ। पुनः परीक्षा देने के लिये सीधे परीक्षा फार्म भरना होगा। परीक्षा फार्म भरते समय पूर्व नामांकन में दी गई जानकारी विद्यालय के माध्यम से अद्यतन कराई जा सकेगी।

प्रश्न–5 किसी उत्तीर्ण विद्यार्थी द्वारा पुनः 10वीं/12वीं की परीक्षा देने पर उसकी अंकसूची कैसे प्रदर्शित होगी ?

उत्तर–5 परीक्षा परिणाम प्राप्त होने पर संबंधित विद्यार्थी को पूर्व में जारी अंकसूची को अद्यतन कर नई अंकसूची जारी की जावेगी। अद्यतन अंकसूची में किसी विषय विशेष में पूर्व परीक्षा तथा वर्तमान परीक्षा दोनो में से जिसमें अधिक अंक होंगे उसे मान्य कर दर्शाया जावेगा। विद्यार्थी को जारी अंकसूची में उत्तीर्णता का वर्ष अद्यतन परीक्षा का वर्ष मान्य कर दर्शाया जाएगा।

प्रश्न–6 क्या पूर्व में उत्तीर्ण परीक्षा के विषयों में पुनः परीक्षा दी जा सकेगी ?

उत्तर–6 जी हॉ । किसी विषय में जिस परीक्षा में अधिक अंक होंगे उसे मान्य करते हुये अद्यतन वर्ष की अंकसूची जारी की जावेगी।

प्रश्न–7 क्या अन्य राज्य व बोर्ड से उत्तीर्ण विद्यार्थी माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में पुनः 10वीं या 12वीं की परीक्षा दे सकेगे ?

उत्तर–7 जी हॉ।

प्रश्न –8 क्या 9वीं/11वीं में मण्डल में नामांकन नही कराया गया हो तो 10वीं/12वीं की परीक्षा नियमित प्रवेश लेकर दी जा सकती है ?

उत्तर–8 जी हॉ। मण्डल द्वारा वर्ष विशेष में नामांकन के लिये निर्धारित समय सीमा में 10वीं/12वीं के लिये नामांकन कराना अनिवार्य होगा।

सचिव